उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन (विस्तार),
लखनऊ- 226001

Phone no. 0522-2288187
Website: www.uppst.org
Email: sectrustlko@gmail.com

संख्या: 426 /ट्रस्ट/पेंशन/निधि मांग दिनाँक 2/5/18

समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/उपमहाप्रबन्धक (लेखा), "महत्वपूर्ण"
उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड/केस्को(मुख्यालय)
परिक्षेत्रीय लेखाकार्यालय (वितरण)/पारेषण/(सा0प्र0),
समस्त डिस्कॉम, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, उ0प्र0पा0का0लि0,

ई0 मेल

विषय :- पेंशन, उपादान, राशिकरण, अनन्तिम, पेंशन, अनन्तिम उपादान पेंशन/अनन्तिम पेंशन अवशेष से संबन्धित निधिमांग आवश्यक जाँच के उपरान्त ट्रस्ट को प्रेषित करने के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या.01/2016/41/24-पी0-02-16-सा0(84)/2014 दिनांक 13.01.2016 एवं कार्यालय के पत्र संख्या.02/2018/810/24-पी0/02-17-सा0(84) दिनांक 26.03.2018 एवं इस कार्यालय के पत्र सं0 272/ट्रस्ट/पेंशन दिनांक 16.03.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

उपरोक्त के क्रम में पेंशन संबंधी निधि मांग सन्दर्भित आदेशों की अनुरूपता में ही एवं निधि उपलब्धता के सापेक्ष अवमुक्त की जानी है। प्राप्त निधि माँग संदर्भित आदेशों की अनुरूपता में प्रेषित नहीं है एवं निधि माँग में विविध कमियाँ पायी गयी हैं, यथा– सातवें वेतन आयोग के अर्न्तगत निधि मांग पृथक रूप से प्रेषित नही किया जाना, नियमित अनन्तिम पेंशन में अनन्तिम पेंशन एरियर की राशि सम्मिलित कर दर्शाया जाना, अप्रैल 2018 भुगतान माह मई 2018 की अनन्तिम पेंशन निधि मांग प्रेषित किया जाना, निधि मांग सकल रूप से प्रत्याप्ति सहित प्रेषित न किया जाना तथा उपादान, राशिकरण एवं अनन्तिम उपादान की निधि मांग में सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिक का सेवानिवृत्त/दिवंगत दिनांक सूचित न किया जाना। अतः **निधि मांग माह दिसम्बर 2017 से अप्रैल 2018 तक प्रेषित निधि मांग अपने स्तर पर निम्नवत बिन्दुवार जाँच कर निधि मांग के सम्बन्ध में पुष्टि अथवा पुनरीक्षित प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही अवमुक्त निधि मांग के सापेक्ष पेंशरी देय अवलिम्ब भुगतान सुनिश्चित करते हुये उपयोगिता विवरण प्रेषित करें :–**

1. कट–ऑफ दिनांक 29.02.2016 के पूर्व के सेवानैवृत्तिक कार्मिकों से सम्बन्धित छठे वेतन आयोग से आवरित उपादान, राशिकरण एवं माह 02/2016 तक पेंशन के भुगतान हेतु निधि माँग ट्रस्ट को प्रेषित की जाएगी।
2. सातवें वेतन आयोग की अनुमन्यता फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण फलस्वरूप पेंशन अवशेष के संबंध में शासनादेश होना है एवं दिनांक 01.01.2016 से 28.02.2016 तक सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिकों की पुनरीक्षण के फलस्वरूप गेच्युटी एवं राशिकरण अवशेष संबंधित निधि मांग पृथक रूप से प्रेषित किया जाना है। उपरोक्त धनराशि का भुगतान कोषागार के माध्यम से कराए जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। शासन स्तर से निर्णय के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही किया जाना है।
3. अनन्तिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अनन्तिम उपादान से सम्बन्धित निधि मांग दिनांक 31.03.2018 तक ट्रस्ट को प्रेषित किया जाना है। सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षण करने के सबंध में शासनदेशों की अनुरूपता में आदेश लंबित है। इस संबंध में आदेश होने उपरान्त पुनरीक्षित अनन्तिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अनन्तिम उपादान अवशेष 31.03.2018 तक की निधि माँग अलग से प्रेषित की जाएगी।
4. छठे वेतन आयोग/सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2018 या बाद मे सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिकों को दिनांक 01.04.2018 एवं आगे से देय अनन्तिम पेंशन/उपादान, कोषागार से भुगतान करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी है।
5. पेंशन निधि माँग के साथ पी0पी0ओ0/जी0पी0ओ0/सी0पी0ओ0 की छायाप्रति सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि इंगित करते हुए प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।

6. न्यायालय प्रकरण/लोक शिकायत आदि प्रकरणों में प्राथमिकता पर भुगतान के संबन्ध में विचार किए जाने हेतु संस्तुति, निधि माँग का संदर्भ एवं न्यायालय के निणर्य की प्रति भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही ट्रस्ट से भुगतान होने पर प्राथमिकता पर भुगतान सुनिश्चित कराएं।
7. निधि माँग संस्तुत करने से पहले, इकाई के उपयोग विवरण की जाँच कर लें। अतिरिक्त राशि संदर्भित आदेशों की अनुरूपता में RTGS या चैक के माध्यम से प्रेषित करते हुए ई0मेल एवं पत्रचार के द्वारा भेज कर पुष्टि कराये।

यह भी अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट में ट्रस्ट को आबंटित सीमित राशि को ध्यान में रखते हुए, कार्मिकों को कोषागार से शीघ्र भुगतान कराने के उद्देश्य से यथासंभव अन्तिम पेंशन/उपादान ही स्वीकृत किये जाने की अपेक्षा की गई थी एवं जनवरी 2018 के बाद स्वीकृत अनन्तिम उपादान/पेंशन संबंधी प्रकरणों की समीक्षा भी की जानी थी, के सम्बन्ध में अनुश्रवण एवं तद्नुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(पी०के० गुप्ता)
महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
एवं सचिव (ट्रस्ट)

पत्रांक संख्या............................/ट्रस्ट/पेंशन/निधि मांग/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (वित्त)उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/उ०प्र०रा०वि०नि०लि०/उ०प्र०ज०वि०नि०लि० /समस्त डिस्कॉम एवं केस्को (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, कानपुर।
2. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/उ०प्र०रा०वि०नि०लि०/उ०प्र०ज०वि०नि०लि०/समस्त डिस्कॉम एवं केस्को (का०प्र० एवं प्रशा०),उ०प्र०पा०का०लि०
3. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश स्टेट पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(पी०के० गुप्ता)
महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
एवं सचिव (ट्रस्ट)